UPBG010013762022

न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थित- अवध बिहारी सिंह **(उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP05897**

सत्र परीक्षण संख्या-115/2022,

अपराध संख्या- 349/2020,

सरकार बनाम गुलाब आदि।

धारा- 63/72 आबकारी अधिनियम एवं 272, 273 भा०दं०सं०,

थाना- छपरौली, जिला- बागपत।

आरोप

मैं, अवध बिहारी सिंह, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत आप गुलाब व जितेन्द्र को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनॉक 23/11/2020 को रात्रि 22.05 बजे, ग्राम टाण्डा, थाना छपरौली, जिला बागपत में थाना छपरौली की पुलिस द्वारा आप गिरफ्तार किये गये तथा आपके कब्जे से मोटर साईकिल डिस्कवर रंग नीला नं० **DL-9SQ8216** से अवैध रूप से लायी जा रही दो पेटी (प्रत्येक पेट में 12 बोतल) देशी शराब हरियाणा मार्का रसीला सन्तरा एवं एक पेटी में 48 पव्वा देशी शराब तोहफा मार्का जिनके ढक्कन की सील टूटी है, 12 बोतल खाली देशी शराब सन्तरा मार्का, 04 पव्वा खाली देशी शराब तोहफा मार्का, एक किलो यूरिया, 100 ग्राम नौसादर, एक प्लास्टिक की बाल्टी, एक मघ व एक कीप बरामद हुई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो कि आबकारी अधिनियम की धारा-63/72 के अधीन दण्डनीय है और इस न्यायालय के संज्ञान में है।

2- यह उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपने देशी शराब तोहफा मार्का में अपमिश्रण किया, जिससे वह देशी शराब पेय के रूप में अपायकर हो गयी और ऐसा अपमिश्रण आपने इस आशय से किया कि आप उसे पेय वस्तु के रूप में बेचते। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया है जो कि भा०दं०सं० की धारा- 272 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आपने देशी शराब तोहफा मार्का में यूरिया व नौसादर का मिश्रण कर उसे अपमिश्रण किया जो पेय के रूप में अपायकर थी और ऐसा अपमिश्रण आपने इस आशय से किया कि आप उसे पेय वस्तु के रूप में बेचने की प्रस्थापना की। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया है जो कि भा०दं०सं० की धारा- 273 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्दिशित किया जाता है कि आपके उक्त आरोपों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉकः 05/05/2022,

(अवध बिहारी सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बागपत।

आज यह आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप से इंकार किया और विचार की मांग की।

दिनॉकः 05/05/2022,

(अवध बिहारी सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बागपत।